



न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालिर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक मिस - ४९०-१/४१२

विभिन्न वक्त्रों का
द्वारा आ दिनांक
प्रस्तुत
कलेक्टर ऑफ़ स्टॉर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालिर

- 1- श्रीमती भारती पाराशर पति श्री हरिओम पाराशर
उम्र 44 वर्ष निवासी टीचर्स कॉलोनी,
तहसील व जिला नीमच म०प्र०
- 2- श्रीमती कुमुत जैन पति जयवंत जैन
निवासी 14/2 म०नं० 333,
विकास नगर, नीमच म०प्र०

आवेदकगण

1. श्री रमेश चन्द्र थेट अपर भाइयू उमागांधी
2. म०प्र० शासन अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

- (Signature) 10/4/12*
- 1- यहकि आवेदकगण ने कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, म०प्र० के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि की अदला-बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक ०५/ए/१९(४)/०६-०७ पर दर्ज किया गया। जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात दिनांक १९-२-०७ को भूमि की अदला-बदली का आदेश आवेदकगण के पक्ष में पारित किया गया था और तदनुसार उक्त आदेश का पालन किया गया। उसके पश्चात आवेदकगण द्वारा उस भूमि को उन्नत बनाए जाने में काफी धनराशि व्यय की है।
 - 2- यहकि श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र क्रमांक ११०७६/एफ-८८/रीडर-१/२०११ दिनांक ३-१२-११ के अनुक्रम में कलेक्टर के आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है।
 - 3- यहकि, इसके पश्चात अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा आवेदकगण को दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक मिसलेनियम 890-एक / 2012 [ब्राह्मी/२३६] जिला नीमच

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	फकारे एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री बी०एन०त्यागी पेनल लॉयर उपस्थित । यह विविध प्रकरण संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत अपर आयुक्त से प्रकरण आयुक्त अथवा अन्य अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने से संबंधित है । यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है, परन्तु आवेदक द्वारा इसके निराकरण में रुचि नहीं ली जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 7 वर्ष में जिन अपर आयुक्त से प्रकरण स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उनका स्थानान्तरण हो चुका होगा । अतः अब इस प्रकरण के निराकरण का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	